दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी राकेश पारीक के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा का खेत खसरा नम्बर 1114/435 रकबा 3.0351 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 सुनिल कुमार पारिक के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा का खेत खसरा नम्बर 445 रकबा 5.0747 हैक्टेयर में से रकबा 3.0351 हैक्टेयर पूर्वी दिशा की तरफ माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कीं घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी 2 बाबुलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा का खेत खसरा नम्बर 445 रकबा 5.0747 हैक्टेयर में से रकबा 2.0396 हैक्टेयर पश्चिमी दिशा की तरफ माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।

माफिक वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 26.6.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner